

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2018/ ज्येष्ठ 31, 1940 सं. 2283] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2018/JYAISTHA 31, 1940 No. 2283]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय **शुद्धिपत्र** नई दिल्ली, 21 जून, 2018

का.आ. 3020(अ).—भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2422(अ), तारीख 13 जून, 2018 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 जून, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ 1 पर पंक्ति 8 में "धारा 22" के स्थान पर "धारा 21 का खंड (iii) और धारा 22" पढ़ा जाए।

> [फा.सं. 1/1/2018-सीएल. I-भाग] के वी आर. मुर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st June, 2018

S.O. 3020(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 2422(E), dated the 13th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th June, 2018, at page 2, in line 8, for "Section 22", read "Clause (iii) of Section 21 and Section 22".

> [F. No. 1/1/2018-CL.I-Part] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

3488 GI/2018